न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2162 सन 2026
CNR No. UPSP 01005643 2026

1.सोपाल पुत्र मंगता
2.गोपाल पुत्र मांगता
3.हरषित उर्फ अन्नू पुत्र सोपाल
4.अभिषेक उर्फ भोला पुत्र सोपाल
5.दीपक पुत्र गोपाल
6.सौरभ पुत्र गोपाल
7.गौरव गोपाल
निवासीगण ग्राम दौराला थाना नकुड जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 271/2026
धारा 191(2),191(3),190,109(1),118(1)
118(2),115(2),352,351(3) बी.एन.एस
थाना नकुड जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

02.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **सोपाल, गोपाल, हरषित उर्फ अन्नू, अभिषेक उर्फ भोला, दीपक, सौरभ व गौरव** की तरफ से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किये गये है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी हैदर खान द्वारा थाना नकुड पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि उसके द्वारा गॉव धौराला में करीब 08 बीघा जमीन है, जिसमे उसका आम का बाग है और उक्त बाग बहार की फसल को वादी द्वारा जुलफक्कार को बेचा गया है। वादी के बाग के बराबर में सोपाल व गोपाल के खेत है जो वादी से रंजिश रखते है और उनके साथ वादी के जमीन के मुकदमे भी चले रहे है। दिनांक 12.05.2026 को समय करीब 12:30 बजे दिन में ठेकेदार जुलफक्कार, आमिर, शोयब वादी के बाग की जुताई कर रहे थे तभी उक्त सोपाल, गोपाल, अन्नू, भोला, दीपक, सौरभ, गौरव व दो अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर लाठी,डण्डे, सरिये व धारदार हथियार तलवार लेकर जबरदस्ती उसके बाग में घुस आये और जान से मारने की नीतय से ठेकेदार जुल्फकार उसके पुत्रो आमिर व शोयब को मारपीट कर उपहति कारित की शोर सुनकर प्रवेज, अनवार राणा, मौके पर आये और बीच बचाव कराया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। वादी द्वारा 112 नम्बर पर फोर कर पुलिस को सूचना दी गयी तथा घायलो का उपचार कराया गया।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया ।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना में किसी भी अभियुक्त की कोई विशिष्ठ भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। पक्षकारो के मध्य विवादित भूमि को लेकर दीवानी वाद विचाराधीन है जिसके सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया है। वादी प्रश्नगत भूमि को कब्जाना चाहता है जिस कारण उसके द्वारा यह झूठा मामला पंजीकृत कराया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। वादी द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर भूमि पर कब्जा करने के प्रयास में अभियुक्त पक्ष के सोमपाल के साथ मारपीट की गयी थी, जिसमे सम्बन्ध में अभियुक्तगण की ओर से वादी पक्ष के विरूद्ध मु0अ0सं0–279/2026

पंजीकृत कराया गया है। उक्त मामले में दबाव बनाने के लिए यह झूठा मामला पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं समस्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्तगण के द्वारा अवैध हथियारो से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर वादी के आम के बाग के ठेकेदार जुलफक्कार, उसके पुत्र आमिर व शोयब के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी, डण्डे, सरिये व धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित करने, गाली गलोच करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी पर उपलब्ध आहत आमिर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में **जुल्फक्कार** के शरीर पर इन्साईड वून्ड, रेड कन्टयूजन, की कुल 06 चोटे आना आहत की चोटे के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना अभिलिखित है। आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसे बाये हाथ की 5वी मेटाकारपोल बॉन में अस्थिभंग की चोट होने के कारण आहत की उक्त चोट गम्भीर प्रकृति की तथा अन्य चोटे साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है। आहत **शोयब** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में लेस्रेटिड वून्ड, ट्रामेटिक स्वेलिग, रेड कन्टयूजन, की कुल पॉच चोटे पाया जाना, आहत की चोट सं0–1 व 2 के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना व शेष चोटे साधारण प्रकृति की होना अभिलिखित है परन्तु आहत की कोई एक्स–रे या पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी पर उपलब्ध नहीं है। आहत **आमिर** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर लेस्रेटिड वून्ड व ट्रामेटिक स्वेलिग की कुल दो चोटे पाया जाना तथा उक्त चोटो के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना अभिलिखित है। आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत के सिर व कन्धे की चोट में कोई अस्थि भंग न पाये जाने के कारण आहत की उक्त चोटो को भी साधारण प्रकृति का होना दर्शित किया गया है। केस डायरी के अनुसार आहत जुल्फकार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या व चिकित्सक के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा मामले में दौरान विवेचना धारा–118(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि किया जाना दर्शित है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया है कि कथित घटना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा आहत आमिर के सिर पर फटे हुए घाव की चोट कारित की गयी है, जिसके सन्दर्भ में चिकित्सक द्वारा एक्स–रे की सलाह दी गयी है। मामले की विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा केस डायरी पर संकलित साक्ष्य के अनुसार प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्ट्या आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित है। अभियुक्तगण द्वारा कथित कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। प्रस्तुत प्रकरण में अन्य अपराधो के साथ–साथ धारा 109 बी.एन.एस के अपराध से संबंधित है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास के दण्ड का प्राविधान है। आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की सम्भावना है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य परिस्थितियों एवं कथित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किए आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **सोपाल, गोपाल, हरषित उर्फ अन्नू, अभिषेक उर्फ भोला, दीपक, सौरभ व गौरव** की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना को प्रेषित की जाये।

दिनांक 02.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891